

60

~ 1 ~



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक किरानी-2673/2018/छिन्दवाडा/भू-र

श्री विजय सिंह चौहान
द्वारा आज दि. 9-5-18 को
प्रस्तुत। प्रारम्भिक चर्क हेतु
दिनांक 7-5-18 निवत।

[Signature]
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनलाल पिता सूपचन्द्र कुमरे आयु- 54 वर्ष
जाति गोंड निवासी - ग्राम पोआमा, तहसील
व जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) ———आवेदक

बनाम

म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
जिला- छिन्दवाडा (म.प्र.) ———अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 (1) म.प्र. भू राजस्व
संहिता-1959 विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय, जिला
छिन्दवाडा के प्रकरण कमांक 100/अ-21/2017-18 में
पारित आदेश दिनांक 28-4-2018 से परिवेदित होकर।

विजय सिंह चौहान
[Signature]
02/05/18

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य:-

संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा ग्राम पोआमा , ब.न. 350 प0ह0न0 - 5 तहसील व जिला छिन्दवाडा (अधिसूचित क्षेत्र से वाहय) स्थित भूमि खसरा नम्बर 110/2 रकवा 2.015 हेक्टेयर में से 1.01 हेक्टेयर भूमि वर्तमान अभिलेखों में आवेदक के नाम शामिल शरीक भूमि स्वामी अधिकारों में दर्ज होकर, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। जो पैतृक भूमि होकर, कृषि आयोग्य होने से अंसिचित भूमि है। जो कि आवेदक को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जो कि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

कार्यालय महाशिवकुटा, ग्वालियर
अभिप प्रति... से...
पृष्ठ क्र. 97
दिनांक 02/05/18
हस्ताक्षर व नाम [Signature]

[Signature]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों व अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवेदन को ग्राह्य योग्य न मानते हुए निरस्त किया है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं क्योंकि आवेदित भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित नहीं है और ना ही गया कि आवेदित भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि है बल्कि आवेदक की अर्जित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर गलत आधार पर आवेदन निरस्त किया है।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में भूमि को अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, जो उचित है।</p> <p>4/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। यह सही है कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन की जिस अधिसूचना का हवाला दिया गया है उसके अनुसार आदिम जनजाति क्षेत्र में छिंदवाडा जिले की छिंदवाडा, सौंसर एवं अमरवाडा तहसील सम्मिलित थी परंतु इसके उपरांत संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) तक के प्रयोजन के लिए भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II-ख-3 (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि.797 (अ) दिनांक 31 दिसम्बर 1977 द्वारा भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के छठे पैरा के उपपैरा (2) द्वारा बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित किये गये हैं। मध्यप्रदेश के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूची सरल क्रमांक 21 पर छिंदवाडा तहसील के तामिया और जामाई जनजातीय विकासखंड, पटवारी सर्किल क्रमांक 63 से 68 और</p>	


3

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2673/2018/छिंदवाड़ा/भू०रा०

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>क्रं० 72 और 73 पटवारी सर्किल क्रं० 62 के सीरगांव खुर्द और किरवानी-गांव, पटवारी सर्किल क्रमांक 69 के मैनावाडी और गौली परासिया गांव तथा पटवारी सर्किल क्र० 97 का गांव बम्हनी इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र हैं । इस अनुसूची में ग्राम पोआमा ब०नं० 350 प०ह०नं० 5 तहसील व जिला छिंदवाड़ा जहां प्रश्नाधीन भूमि स्थित है का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार यह पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने से संहिता की धारा 165 (6क) से (6डड) के बंधन से मुक्त है । इस प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । अतः उक्त विधिक स्थिति तथा आवेदकों की ओर से विक्रय की अनुमति दिए जाने के लिए उल्लिखित किये गये आधारों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों को उनके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः कलेक्टर, छिंदवाड़ा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की मौजा ग्राम पोआमा ब०नं० 350 प०ह०नं० 5 तहसील व जिला छिंदवाड़ा स्थित भूमि खसरा नं० 110/2 रकबा 2.015 हैक्टर में से रकबा 1.01 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड</p>	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
	<p>लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p> <p style="text-align: right;"> (एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य</p>	